न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-597RAABarmer2025-167RTA225 Sukharam Vs Arjunram etc

सुखराम पुत्र आईदानराम जाति विश्नोई निवासी सियागपुरा पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान तहसील सेडवा जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. अर्जुनराम पुत्र जोधाराम
2. प्रकाशचन्द पुत्र जोधाराम
   जाति विश्नोई निवासी सियागपुरा पटवार क्षेत्र शोभाला दर्शान तहसील सेडवा जिला बाडमेर
3. श्रीमान तहसीलदार सेडवा जिला बाडमेर
4. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई शाखा बुरहान का तला तहसील सेडवा जिला बाडमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा राजस्व प्रार्थना पत्र सं 271/2025 अनवान अर्जुनराम व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री छैलसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

नि र्ण य

दिनांक : 18 फरवरी 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 271/2025 अनवान अर्जुनराम व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 1417/288 रकबा 4.5487 हैक्टेयर मौजा सियागपुरा तहसील सेडवा में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 288 रकबा 4.4596 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से भिजवाये जाकर उस पर सम्यक रूप से तामील करवाये बिना अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। जबकि नियमानुसार प्रथम नोटिस तामिल कुन्निदा के माध्यम से प्रेषित किया जाना कानूनन आवश्यक है, परन्तु तामिल कुन्निदा अपीलान्ट के नोटिस लेकर कभी उसके घर नहीं आया तथा न ही डाक से प्रेषित कोई नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त हुए। अपीलान्ट को इस प्रकरण के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से एकतरफा मौका रिपोर्ट तलब की गई है। तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर हल्का पटवारी ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 1 से निजी लाभ प्राप्त करते हुऐ उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलाट को कोई सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई, जबकि अपीलान्ट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है तथा मात्र उतरदाता व उसके चहेते व्यक्तियों के ही ही हस्ताक्षर है। इसके अलावा किसी सेढा पडौसीयान व मौतबिरान के भी हस्ताक्षर नहीं है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रमाणित है कि उक्त मौका फर्द अकेले में उत्तरदाता के दबाव में तैयार की गई है। उतरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा हस्तगत आवेदन दिनांक 03.09.2025 को पेश किया गया तथा दिनांक 17.10.2025 तक मौका रिर्पोट मंगवाकर दिनांक 17.10.2025 को अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये उसी दिन दिनांक 17.10.2025 को प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया। इस प्रकार समस्त कार्यवाही कर मात्र 42–43 दिन में प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर दिया है, जबकि पेशी तारीख 23.09.2025, 29.09.2025, 06.10.2025 को कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई तथा पेशी तारीख 06.10.2025 को पत्रावली दिनांक 30.10.2025 को नियत की गई, परन्तु उससे पूर्व ही पत्रावली दिनांक 14.10.2025 को पेशी पर लेकर आगामी तारीख 17.10.2025 को नियत कर दी गई तथा उसी दिन अपीलान्ट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुये प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो पूर्णतया विधि सम्मत नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि उतरदाता संख्या 1 व 2 को अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1417/288 में से अपने खेत के पहुंचने बाबत नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 1488/285 में से रास्ता उपलब्ध है, परन्तु मौका रिपोर्ट में उक्त विकल्प के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा वर्तमान में उतरदातागण उक्त रास्ते से ही आवागमन कर रहे है तथा उत्तरदाता द्वारा चाहे गये रास्ते से उक्त रास्ता नजदीक है तथा विधि अनुसार कम दूरी की भूमि से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। इसलिये उतरदाता खसरा संख्या 1488/285 में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उतरदाता संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 1417/288 में एक खातेदार अशोक का नाम दर्ज है, अशोक को प्रार्थी या विप्रार्थी पक्षकार नहीं बनाया गया है और खसरा के सम्पूर्ण खातेदारों द्वारा आवेदन भी नहीं किया गया है, आंशिक खातेदारों द्वारा आवेदन किया गया है। नियमानुसार धारा 251ए राज. काश्त.अधि. का आवेदन खसरे के समस्त खातेदारों द्वारा किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाना आवश्यक है। इस प्रकार आवेदन भी अपूर्ण एवं दोष पूर्ण है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए (1) के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना था, परन्तु उतरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा जिस स्थल पर प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, वहां पर से पहले कोई रास्ता ही नहीं है तथा अपीलांट का पक्का मकान बना हुआ है तथा कांटेदार बाड़ बनी हुई है तथा पहले से रास्ता न होने के कारण उक्त स्थल पर रास्ता नहीं दिया जा सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आंखे मूदकर गलत रूप से रास्ता स्वीकृत कर दिया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक व दो की भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाजवूद वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा पोस्टल रसीदात के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाते हुए विधिनुसार तलब मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है तथा मौके पर रास्ता भी खुल चुका है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये केवल 50 बाई 20 के रास्ते का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की आड़ में रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे रेस्पो. का आवागमन बंद हो चुका है तथा उसे कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में उभय पक्ष की भूमि मूल खसरा नंबर 288 का ही भाग रही है। रेस्पो. द्वारा अपने मूल खसरा में से ही रास्ता प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 23.09.2025 के अवलोकन मुताबिक रेस्पो. संख्या एक व दो के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1417/288 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 288 में से अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्द अनुसार धारा 251 की मंशा के अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट्स का उज्र है कि रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 1488/285 में लघुतम रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट्स के उक्त उज्र के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त खसरा अपीलांट के खसरा के समानांतर ही स्थित है, जिससे रास्ते की दूरी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट एवं रेस्पो. के खातेदारी खसरा पूर्व में मूल खसरा नंबर 288 के भाग रहे है। इस कारण रेस्पो. की भूमि में से ही रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है।

जहां तक अपीलाट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावलीपर उपलब्ध रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन की पोस्टल रसीदात के मुताबिक अपीलांट पर तामील हेतु विचारण न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. माध्यम से सम्मन भिजवाये जाकर सम्यक रूप से तामील करवायी गई है। लिहाजा अपीलांट का उक्त उज्र भी स्वीकार्य नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 271/2025 अनवान अर्जुनराम व अन्य बनाम सुखराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर